

28.8.24

वकील कपीखोले उपस्थित। वकील कपीखोले या स्वयं  
 कपीखोले की बार-बार शायदे उमरि जरे डिनुकोई  
 उपस्थित नही। कामा/ कावछुद हवता नियत सिमंड  
 की कोई उपस्थित न आने के कारण कपील कडक  
 हाजिरी, कडक पेची में बाजि की जाती है।  
 परबली निफल शुमा देकर बाद तहमील  
 दाखिल दफ्तर् ही।

*[Signature]*  
 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
 भरतपुर

*[Faint mirrored text bleed-through from the reverse side of the page]*